effectively. A large investment is needed in that sector. For this purpose, Section 14 of the principal Act is sought to be amended which empowers the Authority to enter into joint ventures concerning inland shipping by way of equity participation. There is also a proposal to add Section 18A in order to attract investment. The Authority may in such manner and subject to those terms borrow from various sources by issue of bonds and debentures and other instruments. This is an empowering provision which enables the Authority to raise capital from the market by way of these instruments. These are the two substantial objects. There is a lot of scope for expansion of the inland waterways activities in India, because economically it is much cheaper. It is fuel-efficient. Ecologically, it is superior and it also tends to lower the burden on our road and rail network. I, therefore, propose to the hon. House to pass this Bill.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): There is no name before me to speak on this important Bill. The question is:

That the Bill further to amend the Inland Waterways Authority of India Act, 1985, be taken into consideration.

The motion was adopted.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): We shall now take up clause-by-clause consideration of the Bill.

Clauses 2 to 7 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the Title were added to the Bill.

SHRI ARUN JAITLEY: Sir, I move:

That the Bill be passed.

The question was put and the motion was adopted.

The Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Bill, 2001.

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI PRAMOD MAHAJAN): Sir, I move:

"That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament Act, 1954, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration."

The question was proposed.

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI (Kerala): Sir, I rise to oppose this Bill. There is a debate going on in the country on this important matter. The print media has taken up this issue; the electronic media is discussing this issue, and a section of the general public also has joined in this debate. Of course, this is an important issue. I may be in a minority in this House, but the public are discussing this issue.

Sir, I have to make five important points on this matter. First is that, from all the discussions in the Press and in the electronic media, and the various discussions that have taken place in different parts of the country, we get to know that the general public is not in favour of this Bill. They consider that the increase is too much. An impression has been created that there is a three-fold increase in the matter of salaries. And this increase has been made in one instalment. No other profession or no other category of people has got this much of an increase in one instalment. That is why the people are generally opposed to this. The second point is that this has been made in an inappropriate manner. The other day, we discussed about the slow-down of the economy; we discussed about the growing unemployment, especially, in the rural areas. We also discussed about the natural calamities and the miseries of the people. We were also discussing how to reduce our expenditure; how to reduce our fiscal deficit. In such a situation, in the context of the slow-down of our economy and the growing miseries of the people, we consider that this has been made in an inappropriate manner. And the third important aspect is the manner in which this increase has been made. It is that we, ourselves, are taking this decision. We had discussed this matter earlier; let us try to constitute some institutional set up; let that institution study the whole aspects and decide on such matters, because, I think, it is we, alone, who have this privilege of deciding one's own salaries. And this is also inviting a lot of criticism. If you constitute some sort of an independent mechanism for making recommendations, then, we can implement them. But there is no such provision in this Bill. If some such provision is there, that would help us. And, there is an argument that, in the case of other professions, there has been a lot of increase in their salaries and, hence, the salaries of MPs also should be increased. We don't agree with that logic. The profession of an

M.P. is a unique one; entirely different from other professions. We are the policy-makers; we are the makers of the law; not only the present but the future of the country. So, our profession is entirely unique. We cannot compare ourselves with others. Our salaries and our other things should be based on how the people look at it; how the people perceive these things. So, in the context of the common peoples' perception, a lot of objection is there; a lot of criticism is there. ...*(Interruptions)*... It may be your view. You may be having your own views on this matter. Sir, the other argument is... ...*(Interruptions)*... I know that you may disagree on this matter. It may be unpleasant to you. ...*(Interruptions)*...

श्री नीलोत्पल बसु (पश्चिमी बंगाल): प्रॉब्लम क्या है? उन्हें अपनी बात रखी है न **...(व्यवधान)...**

डा. वाई लक्ष्मी प्रसाद (आन्ध्र प्रदेश): हर रोज आप बीच में खड़े होकर बोलते हैं **...(व्यवधान)...**

श्री नीलोत्पल बसु : अगर बीच में इंटरप्ट करेंगे तो नहीं करने दिया जाएगा, बोलने दो **...(व्यवधान)...** You don't do this.

SHRI S. RAMACHANDRAN PILLAI: There is other argument; that we should try to raise the salaries and allowances of the MPs, as in the case of other countries. I don't agree with this logic, Sir. our history, our evolution of the democratic system, our values, the whole situation existing in our country; all these we should take into consideration. We cannot mechanically adopt a system from outside. So, because of these reasons, we are of the firm view that the increase is too much; the increase is made at an inappropriate time. So, we appeal to the Government to withdraw this Bill. The Government should also try to constitute some mechanism for making any increase in the salaries and allowances in future. With these words, I conclude.

DR. M.N. DAS (Orissa): Thank you, Sir. This is a very sensitive Bill, and while taking part in the debate on this Bill, two things come to my mind. One is, one of the fundamentals of democracy is that, out of 100 persons, 99 persons may hold one opinion, but one person may hold a wrong opinion. But, still, that one person holding a wrong opinion should have the freedom to express his opinion against the 99 persons holding the correct opinion. That is one of the fundamentals on which we have developed this democratic system. Sir, on any sensitive issue or any issue, there is bound to be a difference of opinion. Sometimes, the majority may hold one opinion, even a microscopic minority may hold another opinion, but

democracy would like that those who support and those who oppose must play their respective roles.

Sir, the second thing that comes to my mind is, when we talk of a bigger issue like this, we have to think, who are we, what are we, what position do we hold, whom do we represent, for whom we speak, etc. etc.? Sir, it is my personal opinion that, perhaps, an elected Member of the Lok Sabha and an elected Member of the Rajya Sabha, elected by the elected Members of the Legislative Assemblies, must first realise whom do they represent?

The Lok Sabha represents the people and we too represent the people. Our prime concern is to know what the people feel. The duty of any political leader of any party is to keep his fingers on the pulse of the people. We have to respect what the public opinion is.

For a number of days, we are going through media reports; we are going through the editorials, the 'letters to editor' column, of all the newspapers. We also read articles written by eminent persons in different newspapers. As we go through the opinion, I feel, every perception is against one thing--the lawmakers themselves should not make laws to increase their own salaries, increase their own allowances, increase their own amenities, etc. That is the public opinion I am reporting here.

I have arrived at this opinion after going through the opinion of others, as expressed in a number of newspapers. We should not forget that. ...*(Interruptions)*... Sir, through you, I request my hon. friend to remember what Walter said, "I don't agree with you; but I would uphold your right to disagree with me till the end of my life." So, you may not agree with what I say, but you should also agree to uphold my right to speak. If that is not there, then what is the meaning of Parliament? What is the meaning of democracy? What is the meaning of politics? We are Members of the sovereign Parliament of India and there is no tolerance! If one Member speaks, somebody else should not choke his voice. I request the hon. Member, once again, to allow me to speak.

Going by the public opinion and the general perception all over the country, I oppose the Bill. Thank you.

श्री रमा शंकर कौशिक (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष महोदय, सांसदों की तनखवाह बढ़ाने का विधेयक फिर आ गया और फिर सारे देश में चर्चा शुरु हो गई। माननीय मंत्री जी ने इस विधेयक के संबंध में यह बात तो जरूर कही है यह इसलिए लाया जा रहा है कि मूल्य सूचकांक यह कहते हैं कि सांसदों की तनख्वाह और भत्ते कम हैं। लेकिन फिर वही बिल आएगा

तो मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिये जो सब लोगों को यह लगे कि हां इस व्यवस्था के अन्तर्गत इसको बढ़ाया गया है। जैसे इन्होंने मूल्य सूचकांक की बात कही है यह व्यवस्था आगे के लिए क्यों नही की जा रही है? फिर बिल आएगा, फिर यही स्थिति होगी। मूल्य सूचकांक से यह जुड़ जाना चाहिये नहीं तो फिर यह विधेयक आएगा। मैं कहना चाहता हूं कि अपराध बोध से ग्रसित होते रहे हैं हम लोग और माननीय मंत्री जी भी अपराध बोध से ग्रसित होते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि उन्होंने उस अपराध बोध को खत्म करने के लिए एक व्यवस्था यह की है कि पांच साल तक हम नहीं बढ़ाएंगे। इसका न तो कोई औचित्य है, न कोई ऐसी व्यावहारिकता है और न ही ऐसी कोई बाध्यता है जिसे पार करने में आपको मुश्किल होगी। कोई बाध्यता नहीं है। यह कोई कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं होगा। आप फिर विधेयक ले आएंगे, फिर संशोधन ले आएंगे फिर तनख्वाह बढ़ जाएगी। व्यावहारिकता इसलिए नहीं है कि आज बहुराष्ट्रीय कंपनियों के वर्चस्व से, डब्ल्यु.टी.ओ. की शर्तों से क्या स्थितियां आगे होंगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। मूल्य सूचकांक कितना बढ़ेगा, यह कुछ नहीं कहा जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तो यह 5 साल वाली जो बेरियर लगाने की कोशिश की गयी है, इसका कोई महत्व ही नहीं है। उसकी कोई बाध्यता ही नहीं है। कहां उसकी बाध्यता है और उसका औचित्य क्या है जबकि व्यावहारिक दृष्टि से उसको मूल्य सूचकांक के स ध जोड़ेंगे। तो मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि इसमें यह संशोधन करें कि हम भविष्य के लिए मूल्य सूचकांक के साथ इसे जोड़ देंगे। अब तो जितना कर रहे हैं, उतना कर दें लेकिन आगे के लिए अगर कोई ऐसी स्थिति आए, अगर ऐसी औचित्यपूर्ण बात लगे तो हमको मूल्य सूचकांक के आधार पर इसको बढ़ाना चाहिए और वह फिर विधेयक के रूप में आएगा ही नहीं और वह आना नहीं चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इसका समर्थन करता हूं।

DR. ALLADI P. RAJKUMAR (Andhra Pradesh): Sir, I support this Bill. I only request the hon. Minister to look into the aspect of pension of ex. MPs also because one day or the other, we will all become ex. MPs. I would like to know whether the hon. Minister could do something for providing them some facilities. ...*(Interruptions)*.....

श्री राजीव शुक्ल (उत्तर प्रदेश) : सर, रमाशंकर कौशिक जी का जो सुझाव है मेरे ख्याल से यह बिल्कुल ठीक है। It should be linked with the price index. फिर बार बार बिल लाने की जरूरत ही नहीं है। अभी तक सेलरी चपरासियों की थी, अब भारत सरकार के क्लर्क की सेलरी हो गयी है, यह कम से कम लोगों को पता चल गया है।

श्री गया सिंह (बिहार) : माननीय उपसभाध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का विरोध करता हूं। यह इसलिए विरोध करता हूं कि आज इसी हाउस में हम लोग पिछले कई साल से देश के खेत मजदूरों की पेंशन और उनके वेजेज पर बात करते रहे हैं लेकिन कोई साल्यूशन नहीं निकला है। आज इस देश के अंदर लाखों और करोड़ों सिक इंडस्ट्रीज के मजदूरों को 1992 के बाद से यही सरकार बार बार एश्योरेंस देने के बाद उनके वेजेज का रिविजन नहीं कर रही है। आज देश के अंदर जो स्थिति है उसमें यह न्यूज, यह जो मेसेज देश के सामने जा रहा है कि एम पी लोग बैठकर अपनी सेलरी एलाउंस बढ़ा रहे हैं, इससे लोगों में काफी तकलीफ है। आप बढ़ाइए लेकिन मैं यह समझता हूं कि आज जरूरत इस बात की है कि आप तीसरी एजेंसी को

दीजिए जो सारी स्थिति को देखकर अगर वेज और एलाउंस तय करती है तो लोगों को उतना एतराज नहीं होगा। लेकिन पार्लियामेंट में हम अपनी चीजों को बनाते हैं इससे लोगों को तकलीफ है...**(व्यवधान)**...

एक माननीय सदस्य : आप मत लीजिए।

श्री गया सिंह : नहीं लेने का सवाल है तो बहुत सी चीजें नहीं लेते हैं। हम अपनी भावना नहीं अपनी पार्टी की भावना रख रहे हैं।..(व्यवधान) इस बिल में आप अमेंडमेंट कर दो, आप्शन कर दो, ऐसा अमेंडमेंट कर दो, हम तैयार हैं नहीं लेने के लिए। हमारे मंत्री जी को बोलकर आप्शन कर दो। लोगों के लिए आप्शन होगा। ऐसा बनाओ। हम उसके लिए तैयार हैं। मैं सामने बोल रहा हूं। इसलिए मैं इस बिल का विरोध करता हूं और हम समझते हैं कि अभी इसका समय नहीं था। धन्यवाद।

SHRI SHANKAR ROY CHOWDHURY (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I do not have very much to comment. I think the MPs do deserve a pay adequate to the living conditions. I also feel that there is a tremendous adverse impression about us. You may or may not agree with it.. I think this adverse impression is not linked to our pay. It is linked to our performance. I do believe -- I support this Bill, this must go through-- that we must lay down certain basic parameters of performance for ourselves; how many days in a year does Rajya Sabha meet, how many hours a day it should work, adherence to the established conventions, rules of the House. This should all be laid down and adhered to because I do not think the people of India grudge us our salary; they grudge us voting increases ourselves, given the performance that we put up. Thank you.

SHRI FALI. S. NARIMAN (Nominated): Sir, I associate myself with the sentiments expressed by the hon. Member.

SHRI MANOJ BHATTACHARYA (West Bengal): Sir, I thank you very much for this opportunity. . ...*(Interruptions)*..... Some hon. Members have become restless. . ...*(Interruptions)*..... They should hold their patience. Sir, I would like to point out that the mechanism which has been adopted to introduce this Bill is wrong.

The Government should not have adopted this mechanism in this manner. I fully endorse the views expressed by hon. Shri Ramachandran Pillai, Shri Gaya Singh and Dr. M.N. Das. It is a fact that the people, at large, do not approve this because of the mechanism that we have adopted. This is the first point.

The second point is, we should also be careful about the credibility of the politicians in the eyes of the people because we are working for the

people, and once we lose the credibility of the people, we will be nowhere. We will be living only with the increased salary. But we will not be able to represent the people. So, we should be careful about the perception of the people. The perception of the people, as of today, of the politicians, is very, very poor and, with this measure, it will further go down because we have adopted a wrong mechanism to increase our salary. I do not say that our salary has been increased manyfold. But there is a considerable increase in the salary. But, now, the people's perception of the politicians is different. We have chosen a wrong time to do this.

Another point is, I have a little confusion because I find that many of my hon. friends are become restless. I would like to ask my hon. friends whether the role of a Member of Parliament is exclusively 'professional' or whether there is an element of 'mission.' If the element of mission is there, we should not be much worried about how much salary we are getting. We should, rather, be careful about how much we have been able to perform; how much we have been able to perform for the poor people, for the common people and for the downtrodden. We should be more careful about that. We should not be careful about the profession. I refuse to call this as a profession. The position of Member of Parliament cannot be termed as a profession. I have got my own objection. I would further say that this Bill has been brought at an inappropriate time, particularly, when thousands and thousands of workers belonging to the public sector undertakings are not getting their salaries since six months; eight months or some of them are not getting their salaries since more than one year. At this moment, when the people are languishing because of the economic policies being adopted by the Government, because of the economic policies being pursued by the Government, we should not have taken up this Bill. With these words, I oppose this Bill. Thank you.

SHRI KAPIL SIBAL (Bihar): Mr. Vice-Chairman, Sir, every hon. Member of this House has, and should have, an opinion whether or not his salary should be increased. And, every hon. Member of this House should assess for himself whether, in the context of his own performance, he deserves an increase in salary.

SHRI B.P. SINGHAL (Uttar Pradesh): Why this quantification?

SHRI KAPIL SIBAL: There is no quantification. Every hon. Member of the House, I assume and I know, has a conscience, and his conscience will tell him whether or not there should be an increase in his salary. So, I do think that all those hon. Members of this House who do believe that their

6.00 P.M.

performance is linked to the increase in pay and that their conscience does not permit them to have an increase in their salary, I do suggest that this is not obligatory on the hon. Members to, in fact, have an increased salary and allowances, and every hon. Member is free, in the event his conscience tells him that he should not get an increase in wages -- to say that he does not want it -- and I am sure, those who have expressed that this should not have been increased, will, in fact, on record, say that they will not draw the increased salary. Thank you.

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE (West Bengal): Mr. Vice-Chairman, Sir, I draw your attention and, through you, the attention of some of our hon. friends who are in the legal profession -- Mr. Sibal, Mr. Singhvi as well as Mr. Nariman -- to Government Resolutions - Item No. IV, of today's Revised List of Business. Look at the last Resolution. It is a Resolution. The Resolution -- after the Award has been given by the Board of Arbitration -- moved by the Government asks the House to approve, I quote, "That this House approves the proposal of the Government to reject the Award..." -- Why? -- "...recurring expenditure of Rs. 1 crore per annum, will lead to diversion of scare resources from development expenditure to non-productive expenditure and will thus adversely affect the National economy and principle of social justice." I ask this House. If this is the Resolution that you want this House to approve, and before that, you want to approve this Bill which has a recurring expenditure of Rs. 23 crores! Can this House justify this? If the national economy and the principle of social justice and non-productive expenditure hold good for non-payment under an Arbitration Award, how can Rs. 23 crores be paid to us? Sir, I ask you and the Government. And, I take the challenge thrown by Mr. Sibal. You give us an option clause, we will not draw our salary.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Yes; what do you want to say? ...*(Interruptions)*... Just a minute. ...*(Interruptions)*... Thank you, Mr. Minister ...*(Interruptions)*... Shri Zahidi.

श्री खान गुफरान ज़ाहिदी (उत्तर प्रदेश) : उपसभाध्यक्ष जी, मैं सिर्फ यह कहना चाहता हूं कि यह बिल विलंब से आया है। इस को बहुत पहले आ जाना चाहिए था और यह बहुत कम आया है। साथ ही यह भी कहना चाहता हूं कि जो ऑनरेबल मेंबर्स, एमीनेंट राइटर्स जो खुद लाखों लाख रुपए लेते हैं, उन के कॉमेंट पर पब्लिक ओपीनियन फार्म कर के हमारे ऊपर अगर कोई लांछन लगाते हैं, मैं ऐसे तमाम ऑनरेबल मेंबर्स को कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी यह बिल देरी से लाए और कम लाए। उस के बावजूद भी अगर कोई ऑनरेबल मेंबर इसे पसंद नहीं करता है तो इस को वालेंटरी करिए। दूसरे इस के लिए कोई मैकेनिज्म होना चाहिए कि

नेक्स्ट टाइम यह न आए और कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जाय, वह इसी बिल में कर दिया जाए कि स्पीकर और चैयरमेन मिलकर इंडेक्स देखकर सेलरी इंक्रीज कर सकें या उस की जरूरत को पूरा कर सकें। दूसरे, यह सभा काउंसिल ऑफ स्टेट है **...(व्यवधान)...**

श्री नीलोत्पल बसु : ये बार-बार क्यों वही बात बोल रहे हैं और हम को चुनौती दे रहे हैं। ...(व्यवधान)... आप ऑप्सन एड कीजिए, हम नहीं लेंगे। **...(व्यवधान)...**

We are making certain points of principle ...*(Interruptions)*... That you may...*(Interruptions)*... But you cannot attack us. ...*(Interruptions)*... You cannot question our integrity. You are questioning our integrity. ...*(Interruptions)*...

SHRI DIPANKAR MUKHERJEE: The public will ridicule us. ...*(Interruptions)*... You are questioning...*(Interruptions)*... I know how this...*(Interruptions)*... I know how they have come. ...*(Interruptions)*... Give us the option.

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Dipankarji, please take your seat. ...*(Interruptions)*... Please take your seat.

श्री दीपांकर मुखर्जी : हम न मीडिया के थ्रू आए हैं और न मीडिया के थ्रू जाएंगे। हम कैसे आएंगे हमें मालूम है। **...(व्यवधान)...**

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : अब आप अपनी बात जल्दी खत्म कर दीजिए, जल्दी समाप्त कीजिए ।

श्री खान गुफरान ज़ाहिदी : सर, जहां तक प्रोटोकॉल का सवाल है, जहां-जहां हमारा जाना होता है, हम सुप्रीम कोर्ट के जज और सेक्रेटरी के लेवल का प्रोटोकॉल पाते हैं और अगर कम पैसे या पैसे की बदौलत की बात है तो यह ठीक नहीं है। फिर भी इस काबिल तो वह हो कि वह ठीक से आ जा सके और मैं समझता हूं कि यह प्रोटोकॉल के विपरीत है ।

सर, मैं एक बुनियादी सवाल पर जाना चाहता हूं और माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो एक्स एम.पीज. हैं या उन की पेंशन के सवाल पर अलाउंस देने की बात है, पेंशन में कोई वृद्धि न करना ठीक नहीं है जब कि आप ने इंडेक्स के सवाल पर ये रेट बढ़ाए हैं। तो जो लोग चले गए हैं, उन की उम्र भी ज्यादा हो गई है, उन को आज पेंशन का ढाई हजार रुपया भी नहीं मिल रहा है और मैं समझता हूं कि हम उन के साथ इंसाफ नहीं कर रहे हैं। हमें उन की तरफ भी तवज्जो देनी चाहिए। सर, बारहवीं लोक सभा में आप ने एक अमेंडमेंट किया था। टेलिफोन के बारे में section 5 of the housing and telephone facility. मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि एक साल में अगर वह मर गया और दो महीने तक आप ने दिया है, उस के बाद पूरे साल का आप ने सिर्फ बारहवीं लोक सभा के एम.पीज. को दिया है जब कि सातवीं, आठवीं, नौवीं और दसवीं और जो प्रिमेच्योर हो गई हैं नौवीं और ग्यारहवीं लोक सभा, इन को भी वही फेसिलिटीज दे दीजिए जो कि बारहवीं लोक सभा के एम.पीज. जो अब नहीं हैं, उन

को दी हुई है। यह फेसिलिटी उन को देनी चाहिए। दूसरा, ऐक्सैसिव को तो आप केरी फारवर्ड करके दूसरे में ले जाते हैं, अनयूटिलाइज्ड को कैरी फारवर्ड करके क्यों नहीं ले जाते जैसा कि एयर टिकट में है, आपको अनयूटिलाइज्ड को भी कैरी फारवर्ड ले जाना चाहिए। अगर ऐक्सैस काल को आप कैरी फारवर्ड ले जाते हैं तो अनयूटिलाइज्ड को भी कैरी फारवर्ड ले जाइए ।

ये मेरे तीन सुझाव हैं, मैं चाहता हूं कि आप इन पर भी विचार करें और पर्टिकुलरली पेंशन में जो नीचे का स्लैब है, उसको जरूर बढ़ाइए। अगर इसको तिगुना किया है तो उसको दुगुना कर दीजिए, जो पांच हजार के वेज पे है वह ऊपर की तरफ सोचे। यह बहुत जरूरी है इसलिए कि आज की महंगाई, आज की व्यवस्थाएं, आज की परेशानियां उन पर भी हैं ।

मैं इन शब्दों के साथ आपका स्वागत करता हूं और फिर अपनी बात दोहराना चाहता हूं और यह कहना चाहता हूं कि आप देर से लाए, कम लाए, आगे की सोचिए ।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री प्रमोद महाजन) : उपसभाध्यक्ष जी, चर्चा में जिन माननीय सदस्यों ने हिस्सा लिया, सबसे पहले मैं उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। अच्छा हुआ, चर्चा हुई, अगर बिना चर्चा किए यह विधेयक पास हो जाता तो कल सुबह समाचार पत्रों में सबसे पहले यह पढ़ने को मिलता कि बिना चर्चा किए संसद सदस्यों ने अपनी तनख्वाह बढ़ा ली।

उपसभाध्यक्ष जी, यह इस विधेयक का दुर्भाग्य है कि इस विधेयक से सहमत कोई भी नहीं है - कुछ लोगों को लगता है कि बहुत देरी से आया है और बहुत कम आया है, कुछ लोगों को लगता है कि यह क्यों आया है और बहुत ज्यादा आया है। अब यह सच है कि पिछले पांच, सात या आठ दिनों से जब से यह चर्चा चली कि संसद सदस्यों के वेतन-भत्ते बढ़ेंगे तो समाचार पत्रों में काफी आलोचना हुई। वैसे तो एक सदस्य ने मुझसे शिकायत की कि अजीब मंत्री हो तुम, बढ़ाया तो अभी नहीं लेकिन अभी तक तीन बार तो तुमने हमारी आलोचना करा दी। पहली बार आलोचना हुई, जब हमारी के.पी. सिंह देव की समिति में प्रणब मुखर्जी जी की अध्यक्षता में जो उपसमिति थी, उसकी रिपोर्ट आई, तो पहले तो आलोचना तब हुई, उस पर अग्रलेख लिखे गए कि क्यों बढ़ा रहे हैं। पहले संसद सदस्यों को उसकी फटकार मिली। फिर मंत्री परिषद ने जनवरी में सोचा कि इस बिल को फरवरी में लाएंगे, लेकिन हमने इसे रद्द कर दिया क्योंकि गुजरात का महाभीषण भूकम्प आया तो सरकार को और हम सबको लगा कि इसके लिए यह कोई समय नहीं है, लेकिन उस बीच के कालखंड में फिर आलोचना हुई और अब जब हम बढ़ाने जा रहे हैं तो उसकी फिर एक बार आलोचना हुई। अब मैं कोई बहुत पुराना सदस्य नहीं हूं लेकिन मैं कोई नया सदस्य भी नहीं हूं। इसमें मेरी तनख्वाह राज्य सभा के सदस्य के नाते चार बार बढ़ी है। जिस दिन मैं पहली बार आया था तो मेरी तनख्वाह 1,000 रुपए थी। 1,000 से तीन साल में ही 1,500 हो गई। तब भी इसी प्रकार की आलोचना हुई थी, जो आज हो रही है। फिर दस साल के बाद 1,500 से तनख्वाह 4,000 हुई। तब लोगों ने आलोचना की कि यह बहुत गलत हुआ, बहुत बढ़ा दिया आपने। अब जो 4,000 हजार है, उसको हम 12,000 क्यों कर रहे हैं, इसके लिए मैं थोड़े तर्क दूंगा। अब 12,000 हुई तो लोगों ने कहा कि तीन गुणा हो गई। अब मैं यह कह सकता हूं कि आज तक जब तनख्वाहें बढ़ती थीं तो तनख्वाहें कम बढ़ती थीं, भत्ते ज्यादा बढ़ते थे ताकि सदस्यों का आयकर के फार्म से कोई रिश्ता न रहे, इसलिए भत्ते बढ़ते थे और तनख्वाह उसी सीमा में रखी जाती थी जिससे आयकर न देना पड़े। अब पहली बार जब संसद सदस्य 12,000

की तनख्वाह लेंगे तो सबको इन्कम टैक्स पहली बार देना पड़ेगा, यह हम पहली बार फैसला कर रहे हैं, जो पिछले 50 साल से नहीं हुआ था । अब हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, मुझे रेट तो पता नहीं है लेकिन एक सदस्य ने कहा कि हमें गाली तो 3 गुना पड़ रही है लेकिन पैसा 2 गुना मिल रहा है। मैंने उनसे पूछा कि 2 गुना कैसे? उन्होंने कहा कि 12,000 रुपए से 30 परसेंट इनकम टैक्स कट जाएगा। उन्होंने यह कहा कि बड़ा कमाल है, सबने गाली दी कि 3 गुना इनकी तनख्वाह बढ़ गई लेकिन आप बढ़ा रहे हैं केवल 2 गुना, कम से कम आप एक गुना गाली तो कम करवाते। दुर्भाग्य यह है कि मीडिया ने इसको ढंग से पढ़ा है, ऐसी बात नहीं है ।

महोदय, इस विधेयक में एक भी फोन कॉल हमने नहीं बढ़ाया है। हमने सिर्फ यह कहा है कि हम मोबाइल टेलीफोन देंगे और जो एक लाख की लिमिट है, उसी के अंतर्गत इस मोबाइल फोन की कॉल्स भी गिनी जाएंगी। अब मैंने देखा कि एक ने कहा कि एक लाख मोबाइल फोन कॉल्स आपको मिल गई ! फिर किसी ने कहा कि एक लाख कॉल्स बढ़ गई, जब कि एक भी कॉल नहीं बढ़ी है। फिर एक ने तो यह भी लिख दिया कि एक लाख का मतलब एक STD बूथ चलाने जैसा है। अब मैंने एक लाख को वास्तविक रूप से गिनने की कोशिश की। जैसे मैं मुंबई में रहता हूं तो 2 सेकेंड में एक कॉल होती है STD की। किसी ने यह भी लिखा कि अगर ये बोलेंगे तो ढाई साल बोलते रहेंगे, उन्होंने हिसाब करके देखा कि एक लाख कॉल्स में कितनी देर बोल सकते हैं क्योंकि उन्होंने तो लोकल कॉल्स गिनीं। उन्हें लगा कि ये लोग तो लोकल ऐरिया में ही बात करते हैं, और तो किसी से बात ही नहीं करते हैं। उन्होंने 3 मिनट की एक कॉल के हिसाब से देखा कि 2-3 साल तक ये बोलते रहेंगे। जब मैंने गिनने की कोशिश की तो मुंबई में मैं अगर पूरे एक लाख कॉल्स का उपयोग STD कॉल्स के लिए करूं तो मैं 60-62 घंटे से ज्यादा नहीं बोल सकता। हां, मैं चेन्नई में हूं तो 40 घंटे बोल सकता हूं, त्रिवेंद्रम में रहता हूं तो और कम बात कर सकता हूं और पूरे साल के घंटे होते हैं 8,756 यानी मुझे एक भी परसेंट बोलने की अनुमति नहीं है इस एंक लाख कॉल्स में से।

महोदय, बाहर के लोग शायद यह बात न जानें लेकिन हम संसद सदस्य यह बात जानते हैं कि हमारे यहां से जितने कॉल्स होते हैं, आजकल तो लोग रजिस्टर लेकर घूमते हैं कि किसके घर से किसको कॉल हुआ लेकिन हम सब सदस्यों को मालूम है कि हमारे यहां से आधे से ज्यादा कॉल्स कौन करता है, यह किसी को पता नहीं होता। मुझे पता नहीं कि बाहर के कमरे से कौन किसको फोन कर रहा है। राज्यसभा के सदस्य तो थोड़े भाग्यवान हैं, लोकसभा के सदस्यों को तो जो वोट देता है, वह समझता है कि मैंने एक बार वोट दिया तो इसके यहां आकर जितने भी फोन मुझे करने हों, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। राज्यसभा के सदस्यों को भी यह तकलीफ होगी क्योंकि हम हमेशा लोकसभा में जाने की कोशिश करते हैं। अब इसकी बड़ी आलोचना हुई। आलोचना हुई, इसका मुझे दु:ख है। यह आलोचना तनख्वाह से जुड़ी हुई है। किसी ने कहा कि आपके परफॉरमेंस से जुड़ी है, यह ठीक है। अब परफॉरमेंस पर भी मुझे कभी-कभी लगता है कि हम अपने आपको इतना छोटा करके न देखें।

महोदय, जब मैं उस हाऊस में चर्चा कर रहा था, तब मैंने कहा कि इस सत्र में सबने यह लिखा कि लोकसभा ने 27 घंटे ऐडजॉर्नमेंट में गंवाए और मैंने कल गिना है कि लोकसभा के 27 घंटे चले गए लेकिन लोकसभा निर्धारित समय से 32 घंटे इसी सत्र में ज्यादा बैठी, राज्यसभा तो और ज्यादा बैठती है। यानी लोकसभा 27 घंटे कम बैठी लेकिन 32 घंटे ज्यादा बैठी, उसका नोटिस किसी ने नहीं लिया। महोदय, जिस प्रकार के विधेयक हम पास कर रहे हैं, जिस प्रकार

का सहयोग सदन के सभी हिस्सों से मिल रहा है और अगर यह बाकी का डेढ़ दिन ठीक चला जाए और हम तय किए गए विधेयकों को पास कर लें तो हो सकता है कि यह सत्र सर्वाधिक बिल पास करने वाला सत्र बन जाए, यह काम हम कर रहे हैं, यह किसी को मालूम नहीं है।

दूसरी बात यह है कि संसद सदस्यों के काम की व्याख्या हम लोगों को समझा नहीं पाए हैं। लोगों को लगता है कि यह सदन भरा-भरा होना चाहिए। उन्हें लगता है कि वहां जाओ तो भाषण सुनो। अब भाषण देना आनंददायक होता है, यह हम सब जानते हैं लेकिन सुनना कितना कष्टदायक होता है, यह आप अभी भी महसूस कर रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि ये क्यों इतना बोल रहे हैं, जल्दी से बिल पास क्यों नहीं कराते। लेकिन सब संसद सदस्य जानते हैं और हमें लोगों को यह बतलाना चाहिए कि यहां 11 बजे से 6 बजे तक सारे के सारे लोग भाषण सुनने बैठ जाएंगे, केवल हमें यही काम नहीं है। अब जैसे यहां कोई संसद सदस्य भाषण करता है तो वह 10 बजे आकर नोटिस देता है, उसके लिए 8 बजे अखबार पढ़ता है। अब अगर लेबर कोर्ट भी उसके घंटे गिने तो ये सारे घंटे उसमें गिनने पड़ेंगे। काम की व्याख्या केवल यहां आकर के भाषण करना इतना ही नहीं है। काम की व्याख्या लोगों से सम्पर्क रखना यह भी है, अध्ययन करना यह भी है। मैं मानता हूं कि लोगों की हमारे बारे में खराब राय है लेकिन मुझे आश्चर्य होता है कि हमारी अपने बारे में इतनी खराब राय क्यों है कि हम बहुत खराब हैं। इससे और ज्यादा समस्या पैदा हो रही है। इतना आत्म-विश्वास हमारा क्यों चला गया है। हम कोई पाप कर रहे हैं? इसलिए मैं इस बिल का, जो कहते हैं कि यह गलत है, मैं उनके मत का सम्मान करता हूं। मत हो सकता है, कोई कह सकता है कि किसी को तनख्वाह मिलनी ही नहीं चाहिए, वह अपना मत हो सकता है और उनके मत का मैं सम्मान के साथ स्वागत करता हूं। लेकिन मैं किसी अपराध बोध से यह नहीं कह रहा हूं। इसीलिए मैं थोड़ा समय लेकर के यह बताना चाहता हूं कि हमने आखिर यह किया। अब सबसे पहली मांग क्या उठी है कि साहब आप अपनी तनख्वाह तय करते हैं, इससे लोगों को बड़ा कष्ट होता है। यह सच है। अब हम अपनी तनख्वाह क्यों तय करते हैं? अब यह तनख्वाह कैसे तय होती है? इतने विद्वान यहां पर बैठे हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं है। लेकिन संविधान में धारा 106 है उसमें लिखा है, "Salaries and Allowances of Members. Members of either House of Parliament shall be entitled to receive such salaries and allowances as may, from time to time, be determined by Parliament by law." तो संविधान में ही कम से कम आज तक यह व्यवस्था है कि सदस्यों के वेतन और भत्ते संविधान की व्यवस्था के अनुसार संसद ही तय करती है। और वह एक कानून बनाकर तय करती है। 1952 में यह कानून बनाने के लिए एक समिति बनी और पहली बार 1954 में यह कानून बना और 1954 के बाद कानून के अनुसार मिल रहा है। इसलिए संविधान में ही यह व्यवस्था है कि हम अपनी तनख्वाह तय करते हैं, पार्लियामेंट करती है। हम करते हैं यह ठीक नहीं है। हम बोले तो हम खुद पार्लियामेंट समझ रहे हैं, हम नहीं कर रहे हैं। As an individual we are not doing it. Collectively as Parliament इसीलिए तो आपको याद होगा कि एक बार पेंशन की बात हुई थी तो राष्ट्रपति महोदय ने हस्ताक्षर करने से इन्कार किया था और वह पेंशन नहीं बढ़ी थी। इसीलिए पार्लियामेंट का जो अर्थ है लोक सभा, राज्य सभा और राष्ट्रपति, सबको मिला कर के पार्लियामेंट बनती है, वह करती है। लेकिन मैं आपके मत का आदर करता हूं और मैं यह कहता हूं कि मैं तो सभी संसद सदस्यों को यह लिखने वाला हूं क्योंकि जैसा मैंने कहा कि इस बार हम सबको इन्कम टैक्स में ला रहे हैं, वैसे ही हमने पहली बार यह किया है कि अगले पांच साल तक तनख्वाह नहीं बढ़ेगी। जो भी हम बढ़ा रहे

हैं वह पूरे पांच साल के लिए बढ़ा रहे हैं। यह पहली बार लिखा है। इससे पहले कभी नहीं लिखा था। पांच साल के बाद इसको हम रिव्यु करेंगे। ...(व्यवधान)...

श्री राजीव शुक्ल : यह गलत है। ...(व्यवधान)...

श्री रमा शंकर कौशिक : इसका कोई मतलब नहीं है। इसकी कोई बाध्यता नहीं है। आप फिर एक बिल ला सकते हैं तो इसकी बाध्यता क्या है। इसकी बाध्यता को पार करने के लिए कोई परेशानी आपको नहीं है।

श्री प्रमोद महाजन : यह कह रहे हैं यह गलत है। यह कह रहे हैं कि इसका कोई मतलब नहीं है। कौशिक जी आप ठीक कह रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताता हूं। मैं यह समझता हूं कि संसद जब खुद अपने नियम में यह लिखती है कि हम पांच साल के लिए इसको बढ़ायेंगे नहीं, यह कानून खुद बदल सकता है, लेकिन मुझे पूर्ण विश्वास है कि कोई अगला संसदीय कार्य मंत्री पांच साल से पहले तनख्वाह बढ़ाने के लिए आयेगा तो उसको दस बार सोचना पड़ेगा कि मैं इसका क्या कारण दूं जिस कारण पांच साल पहले इसको करूं। बाध्यता तो नहीं है। मैं तो कल दूसरा बिल ला सकता हूं। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि कानून की बाध्यता नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि संसद में जो हम कहते हैं उससे भी एक मर्यादाओं और मान्यताओं की बाध्यता बनती है और इसीलिए पांच साल पहले तो हमने कहा। जैसा मैंने कहा कि मैं सभी संसद सदस्यों को पत्र लिखने वाला हूं। अभी अपने पास पांच साल हैं। जिन-जिन को यह कष्ट होता है कि कोई दूसरी पद्धति होनी चाहिए। मैं सरकार की ओर से यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि संविधान के अंतर्गत, कानून के अंतर्गत कोई भी अच्छी पद्धति सभी दल मिलाकर सर्वसम्मति से अगर सुझाव दें तो उस पद्धति का हम स्वागत करने के लिए तैयार हैं। हमें कोई जरूरत नहीं है कि हम तनख्वाह बढ़ाकर जलील हों। अब उसके लिए अरुण जी पीछे बैठे हैं, कपिल जी आगे बैठे हैं। अब उसके लिए संविधान में संशोधन करना पड़ेगा क्या, धारा 106 को बदलना पड़ेगा या हटाना पड़ेगा क्या करना पड़ेगा, मैं नहीं जानता हूं। लेकिन जो भी करना पड़ेगा वह स्वाभाविक रूप से दो-तिहाई सहयोग से ही करना पड़ेगा। आप लोग जो सुझाव देंगे उन पर सरकार गम्भीरता से विचार करेगी। यह मत दीजिएगा कि कुछ तो करना चाहिए क्योंकि कुछ तो करना चाहिए यह सोच-सोच कर के मैं यह कर रहा हूं। मेरे पास तो कोई सोच नहीं बन रही है। इसलिए जिस-जिस को लगता है कि कोई नयी पद्धति आनी चाहिए।मेरी विनम्रतापूर्वक प्रार्थना है कि कुछ सुझाव दीजिए, फिर हम ऑल पार्टी मीटिंग में वह सुझाव रखेंगे और सारी पार्टियां या संसद की कोई छोटी कमेटी बनाकर सुझाव दे सकती है और जो भी सुझाव बनेगा, इस पद्धति को बदलने का, उस सुझाव का स्वागत है क्योंकि हम भी यह नहीं चाहते कि लोग यह आलोचना करें कि हम अपनी तनख्वाह बढ़ाते हैं। यह बिल्कुल ठीक है कि जब हम औरों की तनख्वाह बढ़ाते हैं तो इसमें कोई आलोचना नहीं करता है लेकिन जब हम अपनी तनख्वाह बढ़ाते हैं तो लोग आलोचना करते हैं। इसलिए मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात यह है कि किसी ने यह भी कहा कि यह बहुत ज्यादा बढ़ायी गयी है। मैंने कहा कि ज्यादा कम तो बड़ा विवादास्पद विषय है। नैसैसिटी और लक्ज़री आदमी आदमी से बदलती रहती है इसलिए मैं ज्यादा कम की क्या व्याख्या करूं? मेरे पास तो इसके लिए कोई व्याख्या नहीं है। किसी के लिए यह बिल्कुल कम हो सकती है और किसी के लिए बहुत ज्यादा हो सकती है या थोड़ी देर ज्यादा लगेगा और उसके बाद में आदत हो जाएगी। पहला पैकेट आएगा तो बड़ा लगेगा, बाद में कुछ दिन बाद आदत हो जाएगी इसलिए मैं इसकी ज्यादा चर्चा में नहीं जाना चाहता। मैं सिर्फ यह बताना चाहता हूं कि यह कहां से आया

क्योंकि इसमें कोई नयी बातें हमने नहीं की। जैसे हमारा चार सौ रुपये भत्ता था, वह तीन-चार साल पहले तय था, हमने उसको पांच सौ कर दिया। स्वाभाविक रूप से मैं समझता हूं कि इसके लिए कोई बड़ा इंडैक्स ढूंढे जाने की जरूरत नहीं है कि 400 रुपये का जो भत्ता था, जिसमें हम सस्ता खाना यहां खाते थे, वह भी थोड़ा महंगा हुआ है, कैंटीन कमेटी ने किया है, उस हिसाब से सारी चीजों के दाम बढ़े हैं। इसी प्रकार मैं जब यहां आया था तो एक रुपये में बस ले जाती थी। अब शायद बस में पांच रुपये लगते हैं - मैं तो बस में नहीं जाता लेकिन बस में पांच रुपये मांगते हैं। इस हिसाब से पांच गुणा तो बस का भी भाड़ा बढ़ा है। चार सौ से पांच सौ जो हुआ, मैं नहीं समझता कि यह कोई बहुत बड़ी बात है। इसी प्रकार 6000 से 8000 हुआ, मैं नहीं समझता कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है। हमने ऑफिस अलाउंस को 9000 से साढ़े 13000 किया। महोदय, 12000 की तनख्वाह में एम.पी. तो मिल जाता है लेकिन उसका पी.ए. नहीं मिलता। हम ऐसे किसी आदमी से आज तक नहीं मिले हैं जिसकी तनख्वाह हमसे कम हो। वह पी.ए. तो यह कह देगा कि मैं थोड़ा ही देश सेवा कर रहा हूं, मैं तो टाइपिंग कर रहा हूं। वह तो 12000 से ज्यादा तनख्वाह मांगेगा। आपको तनख्वाह एक दम ज्यादा बढ़ी हुई लग रही है। मैं बताना चाहता हूं कि - बार बार इंडैक्स का उल्लेख किया गया - 4000 से 12,000 कैसे हुई? क्या लॉटरी की तरह? नहीं। मैं प्रणव दा को धन्यवाद देता हूं कि पहली बार उन्होंने एक सूत्र के अंदर हमारी तनख्वाह को बांधने का प्रयास किया है और वह सूत्र क्या था? क्योंकि हम कुछ भी करते तो बाप बेटा और गधा की कहानी के जैसे आइदर वे कहने वाले बहुत लोग मिल जाते। उन्होंने यह कहा कि हमारी तनख्वाह 1954 में पहली बार तय हुई और तब वह 400 रुपये थी। उन्होंने अहमदाबाद के मैनेजमेंट वालों को बुलाया - इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से - और उन्होंने यह कहा कि 1954 में 400 रुपये तनख्वाह जो थी, इसको बेस मानिए और यह तनख्वाह अगर प्राइस इंडैक्स के हिसाब से देखें - अगर 400 रुपये 1954 में तनख्वाह हुई थी और वह जिन्होंने की थी - कम से कम अब तो हम सब सुविधाभोगी इधर आए हैं, त्यागी बहुत कम बचे हैं, सब तनख्वाह मांगने वाले हैं, देने वाले तो अब राजनीति में बचे ही नहीं हैं लेकिन 1954 में जो लोक सभा और राज्य सभा होगी, उसके बारे में तो कोई ऐसा आरोप नहीं लगाएगा कि वे लोग सुविधाभोगी थे और उन्हें पैसे की जरूरत थी। मैं समझता हूं कि वे तो स्वतंत्रता आंदोलन से निकले हुए लोग थे और उनके लिए पैसा कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी फिर भी उन्होंने 400 रुपये तय किए। अब अगर 1954 में 400 रुपये तय किये तो इस समिति ने यह कहा कि अगर 1954 में 400 हैं और अगर वही तनख्वाह इंडैक्स के अनुसार आज तक बढ़ती रहती तो कितनी होती? उन्होंने हिसाब लगाया - 11,980 रुपये। हमें लगा कि हम इसे देरी से ला रहे हैं इसलिए 20 रुपये का कंसैशन दे दें। क्योंकि हम 11,980 क्या गिनेंगे इसलिए हमने कहा कि इसको 12,000 बना देते हैं। इसलिए 12,000 जो तनख्वाह है, वह तनख्वाह पहली बार 1954 में - मैं एक बार हिसाब लगाने की कोशिश कर रहा था और मैंने मंत्रालय से पूछा कि आप कैसे यह हिसाब लगा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि सर, 1954 में 300 रुपये के करीब सौवरेन गोल्ड होता था। मैंने कहा कि यह सौवरेन गोल्ड क्या होता है? उन दिनों हम दो-तीन साल के होते थे इसलिए हमें मालूम नहीं है कि वह क्या होता है। उन्होंने कहा कि उस समय कोई 8 ग्राम का गोल्ड होता था, उसकी कीमत उस समय 300 रुपये थी, आज वह 3600 हो गयी है। अब मैं हर चीज़ की कीमत तो नहीं बताऊंगा कि दूध की कीमत तब कितनी थी, आज कितनी है, चाय की कीमत तब क्या थी, अब क्या है - वह मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन अगर यह अपराध मानें तो हमने ये जो बारह हजार बढ़ाया है, कोई ज्यादा नहीं बढ़ाया है। हमने 1954 से 400 रुपए को मूल मानकर महंगाई के अनुसार ही इसको बढ़ाकर बारह हजार

किया है। हमने इसमें ज्यादा कुछ नहीं किया है। मुझे यह नहीं कहना है कि किसी को कितना मिलता है, यह उनकी तकदीर है। लिखने वालों को लाखों मिले तो भाई, यह उनकी तकदीर है।

श्री राजीव शुक्ल : चार सौ रुपए विद टैक्स था या विदाउट टैक्स था?

श्री प्रमोद महाजन : उस समय चार सौ रुपए पर कोई टैक्स नहीं था। ...**(व्यवधान)**... मैं थोड़ा ज्यादा इसलिए कह रहा था क्योंकि अगले बिल पर भी अमेंडमेंट होनी है।

उपसभाध्यक्ष (श्री सुरेश पचौरी) : हो गया।

श्री प्रमोद महाजन : ये कहते हैं कि रेडी है तो मैं इसको कन्क्लूड करता हूं। कुछ छोटे मुद्दे पर कुछ लोग कहते हैं, तो कहें लेकिन हम न कहें। किसी समाचार पत्र ने लिखा है कि इनका फ्लैट अगर किराए पर दिया जाए तो कमर्शियली इनको पचास हजार रुपए मिलेंगे। मेरी समझ में नहीं आता, अगर मैं यहां पर एमपी के नाते काम नहीं करता तो मैं काहे को फ्लैट में जाकर रहता, किस लिए दिल्ली आता, किसी धर्मशाला में जाता। यह सौ करोड़ का देश है और लोग यहां हजारों किलोमीटर दूर से आते हैं, एमपी को फ्लैट देते हो या तो उसका किराया दे दो कमर्शियल देना है तो। फिर किराया लिखेंगे तो फिर लोग बोलेंगे कि वैसे ही ज्यादा दे रहे हो। कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम जरूरत से करते हैं।

श्री राजीव शुक्ल : लिखने वाले भी लेते हैं?

श्री प्रमोद महाजन : वे लेते हैं और नहीं देते तो फिर खिलाफ लिखते हैं। लिखने वालों के बारे में आप ज्यादा जानते हैं, मैं आपको क्या बताऊं। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे काम से जुड़ी हुई हैं। यह ठीक है, समाज उसको समझता नहीं है, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। अंत में, मैं केवल इतना ही कहना चाहता हूं कि किसी ने बड़े आग्रह से कहा है, भाई, कोई आप्सन क्लॉज डालिए।

श्री नीलोत्पल बसु : हमने नहीं कहा।

श्री प्रमोद महाजन : आप यह मत समझिए कि मैं डाल दूंगा ...**(व्यवधान)**...

श्री नीलोत्पल बसु : हमको कोई आपत्ति नहीं है। हम नहीं बोले।

श्री प्रमोद महाजन : मैं उनको कह रहा हूं, आपको नहीं। मेरा आप पर पूरा विश्वास है। लेकिन नीलोत्पल जी कभी-कभी हास्य व्यंग को भी समझ लीजिए। मैंने उस हाउस में सोमनाथ दा को बोला कि आप लोग इसका विरोध कर रहे हैं। आपकी सेलरी पार्टी को जाती है। It is an anti-party activity.... आप इसको बड़ी गंभीरता से मत लीजिए। इट इज जस्ट ए जोक। सब लोग पार्टी एक्टिविटी कर रहे हैं। आपकी पार्टी को अगले महीने से बारह हजार मिलने शुरू हो जाएंगे। आप कह रहे हैं भत्ते बढ़ाओ लेकिन सेलरी नहीं बढ़ाओ। ...**(व्यवधान)**... लेकिन इसको ज्यादा गंभीरता से मत लीजिए। मैं नहीं समझता कि किसी तनख्वाह में आप्सन क्लॉज होगा। I have no intention of giving an option clause.सर, मैं अंतिम वाक्य में केवल इतना कहना चाहता हूं कि अगर कोई दान करना चाहे तो उसको किसी कानून की जरूरत नहीं होती है। देश में बहुत अच्छे काम चलते हैं, प्रधान मंत्री कोष है, मुख्य मंत्री कोष है। अगर कोई आदमी धन देना चाहे तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): Thank you. ...*(Interruptions)*... Please take your seats. ...*(Interruptions)*...

श्री खान गुफ़रान ज़ाहिदी : पैंशन के बारे में आपके क्या विचार हैं?

श्री प्रमोद महाजन : सिर्फ एक्स एमपी के बारे में दो सिफारिशें थी। एक सिफारिश थी कि उनकी ढ़ाई हजार मूल तनख्वाह तीन हजार की जाए और पांच सौ की जगह छः सौ रुपए हर वर्ष बढ़ाए जाएं। आपने अच्छा प्रश्न पूछा है, हमने इसमें प्रावधान किया है। आज मुझे लोक सभा का एक पुराना सदस्य मिला, उसने कहा कि आपने बारह हजार बढ़ाया बहुत अच्छा किया। मैं अब सेलरी लेना शुरू करूंगा। मैंने उनसे पूछा, तुम वर्तमान सदस्य हो, सात बार चुनकर आए हो तो क्या अभी तक सेलरी नहीं लेते थे? बोले नहीं, मैं बीच में एक बार हारा था। सात बार लोक सभा में आने की पैंशन सेलरी से ज्यादा होती है इसलिए मैं अभी तक पैंशन लेता था, मैम्बर वर्किंग था, चुना हुआ नहीं था। वह पैंशन लेता था क्योंकि पैंशन उसकी सेलरी से ज्यादा होती थी। बोलता था कि ढ़ाई हजार मूल के मिलते हैं और हर साल के पांच सौ मिलते हैं, पन्द्रह साल चुनकर आए हैं तो उनकी सेलरी हो गई चार हजार और पैंशन हो गई बारह हजार। वे कहते हैं मैं सेलरी नहीं लेता, मैं पैंशनर हूं मुझे पैंशन दे दो। इसलिए जो पैंशन के बारे में कहा है, दुर्भाग्य से सिर्फ एक सिफारिश मंत्रिपरिषद् नहीं मान सकी। आपने बहुत टोककर पूछा, मैंने उसको छिपाने की कोशिश नहीं की है। एक सिफारिश थी कि यदि एक दिन भी आदमी सदस्य बने.....तो उसकी पेंशन शुरू हो जाए। हमें थोड़ा-सा इसे समझना होगा कि एम.पी. कोई फ्रीडम फाइटर नहीं है जिसकी संख्या कम होगी। इसकी संख्या तो बढ़ती जाएगी। एक्स एम.पी, जो राजकुमार जी कह रहे हैं इनका क्लब तो एग्जीसटिंग एम.पी. से हमेशा बड़ा होगा। राज्य सभा में साधारणतया यह देखा गया है, आपको चिंता है कि राज्य सभा के बहुत कम रिटायर्ड मैम्बर ऐसे होंगे जो दो साल के बाई एलेक्शन में आए हों This is tilted towards Rajya Sabha. यह प्रॉब्लम तो लोक सभा की है जिनका डिज्यूलेशन होता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि दो टर्म भी जिसके हुए हों और even two days तब भी उसको पेंशन मिलता है। कुछ लोगों का यह कहना है कि एक भी टर्म हुई है तो पेंशन देनी चाहिए। ऐसे आठ सौ लोग हैं तो इनके लिए चार करोड़ रुपये हर साल लगेंगे। मैंने सोचा कि मेरे वामपंथी बंधु ज्यादा नाराज न हों इसलिए मैंने उसे नहीं करने का फैसला किया है और वर्तमान के अनुसार ही फैसला किया है इसलिए बहुत -बहुत धन्यवाद।

THE VICE-CHAIRMAN (SHRI SURESH PACHOURI): The question is:

"That the Bill further to amend the Salary, Allowances and Pension of Members of Parliament (Amendment) Act, 1954, as passed by the Lok Sabha, be taken into consideration. "

The motion was adopted.

Clauses 2 to 4 were added to the Bill.

Clause 1, the Enacting Formula and the

Title were added to the Bill.

SHRI PRAMOD MAHAJAN: Sir, I move: